## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 344 / 13

संस्थापन दिनांक : 19.06.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र. — अभियोजन

## बनाम

1—भजनलाल पुत्र प्रीतम धोबी उम्र 45 वर्ष 2—दिलीप पुत्र सुदामा धोबी उम्र 19 वर्ष 3—विवेक पुत्र भजनलाल धोबी उम्र 18 वर्ष निवासीगण कॉलोनी टैटोन थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

## निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

- 1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है। आरोपी भजनलाल के विरुद्ध धारा 324 भा.द.स. तथा आरोपी दिलीप व विवेक के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन शेष दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 05.06.13 को सुबह दस बजे या उसके लगभग ग्राम टैटोन कॉलोनी अंतर्गत थाना एण्डोरी क्षेत्र में सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त भजनलाल ने धारदार हथियार फर्शा से फरियादी की मारपीट कर उसे खेच्छया उपहित कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक फरियादी पप्पू अ0सा02 ने घटना दिनांक 05.06.13 से दो वर्ष पूर्व टैटोन कॉलोनी में कल्यान से मकान खरीदा था जिसकी आरोपीगण बुराई मानते थे इसी बात पर घटना दिनांक को प्रातः दस बजे जब वह अपने घर के पास रोड पर था तो आरोपीगण लाठी फर्शा लेकर आये और अश्लील गालियां देने लगे और मकान बेचने की कहने लगे पप्पू अ0सा02 ने मना किया तो भजनलाल ने उसे फर्शा मारा जो सिर में दाहिनी तरफ लगा विवेक ने लाठी मारी जो दहिनी पैर की पिंडली में लगी फिर दिलीप ने

लाठी मारी जो दाहिने बखैरे में लगी। फरियादी के साथ नारायणी अ०सा०1, महेश अ०सा०4 ने बीच बचाव कराया। तब आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी पप्पू अ०सा०2 ने थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०—2 दर्ज कराई जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध अप०क० 47/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- अारोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार करते हुए प्रकरण में विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 05.06.13 को सुबह दस बजे या उसके लगभग ग्राम टैटोन कॉलोनी अंतर्गत थाना एण्डोरी क्षेत्र में सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त भजनलाल ने धारदार हथियार फर्शा से फरियादी पप्पू अ0सा02 की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

## //विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- 5. पण्यू अ०सा०२ ने कथन किया है कि आरोपी भजनलाल उसका साला व आरोपी विवेक व दिलीप उसके भतीजे हैं दिनांक 18.11.14 से डेढ वर्ष पूर्व गर्मियों के समय प्रातः दस बजे उसकी पत्नी संतोषी की आरोपी भजनलाल ने बदनामी की थी जिसकी सूचना उसकी पत्नी ने अहमदाबाद में फोन से दी जब वह अपने घर आया तब उसकी पत्नी ने बताया कि आरोपीगण अनुचित बातें करके गाली गलौच करते हैं और कहते हैं कि नहीं रहने देंगें। फरियादी ने आरोपीगण से कारण पूछा तो आरोपीगण लाठी लेकर आ गये। भजनलाल ने लाठी मारी जो सिर में पीछे की ओर दाहिनी तरफ लगी। उसके पास भी लाठी थी उसने भजनलाल को मारी फिर आरोपी विवेक और दिलीप ने भी आकर उसके शरीर के पीछे लाठी मारी। नारायणी अ०सा०1 ओर महेन्द्र अ०सा०4 ने आकर बीच बचाव कराया। मारपीट करने के बाद आरोपीगण भाग गये। फिर उसने थाना एण्डोरी में जाकर एफआईआर प्र०पी—2 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 5. फरियादी की सास नारायणी अ०सा०1 अभिलिखित चक्षुदर्शी साक्षी महेश अ०सा०४ ने स्पष्टतः इंकार किया है कि आरोपीगण ने पप्पू अ०सा०२ की मारपीट की और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस क्रमशः प्र०पी–1 व 4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः उक्त दोनों प्रत्यक्ष साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं
- 7. साक्षी डाँ० आलोक शर्मा अ०सा०५ ने कथन किया है कि दिनांक 05.06.13 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए डाँ० राजेन्द्र तरेटिया के साथ कार्य किया था जिसके हस्ताक्षर व लिपि को वह पहचानते हैं। मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी—५ के अनुसार पप्पू अ०सा०२ का चिकित्सीय परीक्षण करने पर चोट कमांक 1 बांये पैर के बीच के एक तिहाई भाग पर ढाई गुणा 0.3 से.मी. कटा हुआ घाव सिर के दांयी तरफ 8गुणा1से.मी. कटा हुआ घाव

चोट क्रमांक 3 दांयी जांघ पर 4गुणासाढ़े तीन से.मी. का नील का निशान चोट साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी। चोट कमांक 1 धारदार वस्तु से और शेष चोटें कड़े एवं भौंथरी वस्तु से आना संभावित थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी–5 के ए से ए भाग पर डॉ0 राजेन्द्र तरेटिया के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि सिर में आई चोट कड़ी वस्तू से आना उल्लिखित की गयी है और बांये पैर में चोट धारदार वस्तु से आना उल्लिखित की गयी है।

- लज्जाराम अ०सा०३ ने तलाशी पंचनामा प्र०पी–2 पर हस्ताक्षर साबित 8. किए हैं परन्त् आरोपीगण के घर की तलाशी उसके समक्ष लिए जाने से इंकार किया है।
- अभियोजन मामले में आहत पप्पू अ०सा०२ को फर्शे से चोट पहुंचाये 9. जाने के अपराध का विचारण किया जा रहा है। लेकिन पप्पू अ०सा०२ ने न्यायालयीन साक्ष्य में मुख्यपरीक्षण में ही किसी भी आरोपी द्वारा फर्शे से चोट पहुंचाये जाने का कथन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी ध ्रोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण फश्रा लेकर आये थे और भजनलाल ने उसके सिर में फर्शा मारा। चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा अ0सा05 ने भी आहत के सिर में कोई कटे हुए चोट का होने से 🕙 इंकार किया है। अतः किसी भी प्रत्यक्ष साक्षी के सामर्थन के अभाव में पप्पू अ०सा०२ की न्यायालयीन साक्ष्य से भी घटना में काटने का या खतरनाक उपकरण का प्रयोग कर पप्पू अ०सा०२ को उपहति पहुंचाया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है और स्वेचछया उपहति के संबंध में प्रकरण में शमन हो चुका है।
- अतः विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 05.06.13 को सुबह दस बजे या उसके लगभग ग्राम टैटोन कॉलोनी अंतर्गत थाना एण्डोरी क्षेत्र में सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्त भजनलाल ने धारदार हथियार फर्शा से फरियादी की मारपीट कर उसे खेच्छया उपहति कारित की।
- परिणामतः आरोपी भजनलाल को धारा 324 भा.द.स. और आरोपी दिलीप व विवेक को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। SILEMENT PROPERTY. 12.

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र0